राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 7(8)कार्मिक/क–2/08 जयपुर, दिनांकः– 7-6-2010

आदेश

कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.5.2010 के द्वारा डी0 बी0 सिविल रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 12810/2009 जी0 शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में मा0 उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा लम्बवत् (Vertical) आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा में रखने के आदेश दिनांक 04.11.2009 को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षण संबंधी मामलें में न्यायालय का अन्तिम निर्णय होने तक की अवधि में भर्ती के लिए विज्ञापित पदों के 4 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग एवं 14 प्रतिशत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त नोशनल पद निर्धारित किये जा कर रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिये कमशः 4 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत पद भरने हेतु स्वीकृत विज्ञापित पदों के अतिरिक्त नोशनल रूप में रखे जायेंगे। इस प्रकार अतिरिक्त रूप से रखे गये नोशनल पदों को संबंधित विभाग वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रकरण भिजवायेंगे एवं अनुमोदन के पश्चात उसकी सूचना कार्मिक विभाग को प्रेषित करेंगे।

उक्त समस्त कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय के उक्त जनहित रिट याचिका में अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

आज्ञा से,

(खेमराज) 7/6/10
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. अति0 मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव ।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज. जयपुर
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर्स सहित।

(नलिनी कलोतिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–
1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव

28/2010

san/noti.ordrer/25